

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 173 /11-सी-FP/UP/Others/19868/2016, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 24, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-बाराबंकी में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्राम-बनीकोडर, तहसील-रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी के गाटा सं० 288 तथा 305 में भितरिया-हैदरगढ़ मार्ग पर किमी० 01-02 के मध्य दाईं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.052743 हे० (पूर्व में 0.0493 हे०) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक-8बी/06/15/2017/एफ०सी०/152, दिनांक-17.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित प्रकरण में अनुपालन आख्या से सम्बन्धित दस्तावेज/प्रमाण पत्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम, पद, मोहर एवं दिनांक अंकित कराकर संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी ने अपने पत्रांक-311/14-4-4, दिनांक 21.07.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की मूल प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय  
  
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Others/19868/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बाराबंकी।
4. डिवीजनल प्रबन्धक, एस्सार आयल लिमिटेड, 02/373 विशाल खण्ड, निकट-सी०भी०एस०, गोमती नगर, लखनऊ।

  
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।